राजस्थान सरकार

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, भीलवाड़ा

(पीठासीन अधिकारी रणजीत सिंह आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 71/2022 अपील

सम्पत पुत्र श्री गहरीलाल महाजन (कोठारी), निवासी–पुर, हाल मुकाम रामद्वारा चौका, शास्त्रीसर्कल, उदयपुर

–अपीलार्थी

बनाम

1. अशोक कुमार पुत्र गहरीलाल कोठारी, निवासी–पुर, तहसील व जिला भीलवाड़ा
2. ज्ञानचन्द पुत्र गहरीलाल कोठारी, निवासी–पुर तहसील व जिला भीलवाड़ा
3. नरेन्द्र कुमार पुत्र गहरीलाल कोठारी, निवासी–पुर, तहसील व जिला भीलवाड़ा
4. निर्मल कुमार पुत्र गहरीलाल कोठारी, निवासी–पुर, तहसील व जिला भीलवाड़ा
5. शम्भु देवी पुत्री गहरीलाल कोठारी, निवासी–पुर, तहसील व जिला भीलवाड़ा
6. हस्तीमल पुत्र गहरीलाल कोठारी मृतक के बजाय

6/1 कमल पुत्र हस्तीमल कोठारी, निवासी–पुर, तहसील व जिला भीलवाडा

6/2 जीतु पुत्र हस्तीमल कोठारी, निवासी–पुर, तहसील व जिला भीलवाडा

6/3 विमल पुत्र हस्तीमल कोठारी निवासी–पुर, तहसील व जिला भीलवाडा

6/4 कल्पना पत्नी हस्तीमल कोठारी निवासी–पुर, तहसील व जिला भीलवाडा

7. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, भीलवाड़ा

–रेस्पोडेण्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध नामान्तरण संख्या 3251 ग्राम पुर दिनांक 29/12/1998

उपस्थित – श्री सत्यनारायण सोमाणी, अधिवक्ता – अपीलार्थी की ओर से
श्री दिनेश चन्द्र बापना, अधिवक्ता – विपक्षी संख्या 4 की ओर से
श्री रामस्वरूप जोशी, अधिवक्ता – विपक्षी संख्या 1,2,3 व 5 से 6/4 की ओर से

अति. जिला कलक्टर भीलवाड़ा

निर्णय

दिनांक :– /03/2026

अपीलार्थी की और से यह अपील अन्तर्गत धारा 75 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 के तहत विपक्षीगण के विरूद्व प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि अपीलाण्ट के परिवार का सजरा निम्न प्रकार है– गहरीलाल कोठारी के वारिस – ज्ञानचन्द (पुत्र), निर्मल (पुत्र), अशोक (पुत्र), नरेन्द्र (पुत्र), सम्पत (पुत्र), शम्भु देवी (पुत्री), पारस कंवर (पत्नि) है एवं हस्तीमल (पुत्र) फौत – जिनके वारिसन : कमल पुत्र हस्तीमल, जीतु पुत्र हस्तीमल, विमल पुत्र हस्तीमल एवं कल्पना पत्नि हस्तीमल है। राजस्व ग्राम पुर, पटवार हल्का पुर प्रथम, तहसील व जिला भीलवाडा की सरहद में आराजी संख्या 4771 रकबा 1 बीघा 19 बिस्वा, 5219 रकबा 4 बीघा 10 बिस्वा कुल कित्ता 2 रकबा 6 बीघा 9 बिस्वा भूमि स्थित थी जो खातेदार गहरीलाल पिता मोतीलाल महाजन (कोठारी) के नाम जमाबंदी संवत 2053 से 2056 में दर्ज थी श्री गहरीलाल का निधन हो गया है तथा अपीलाण्ट एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 4 एवं 6 गेहरी लाल के पुत्र तथा रेस्पोडन्ट संख्या 5 पुत्री एवं गेहरी लाल की पत्नी का निधन हो गया है लेकिन अपीलाण्ट के पिता गहरीलाल के निधन के पश्चात जो नामान्तरण विरासत के आधार पर खोला गया उसमे अपीलाण्ट को गहरीलाल का पुत्र दर्शित नहीं किया गया एवं नामान्तरण रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 6 के नाम पर खोल दिया गया जबकि अपीलाण्ट जो गहरीलाल का पुत्र होने के कारण प्रथम श्रेणी का विधिक वारिस है तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 6 के साथ साथ अपीलाण्ट के नाम पर भी नामान्तरण खोला जाना चाहिए था लेकिन हल्का पटवारी तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 6 ने आपस में मिलाभगती कर अपीलाण्ट के नाम पर नामान्तरण नही खोला इस कारण खोला गया नामान्तरण अपास्त होने योग्य है। हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 8 के अनुसार पुत्र, पुत्री एवं पत्नी को प्रथम श्रेणी का विधिक वारिस माना गया है उक्तानुसार रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 6 के साथ–साथ अपीलाण्ट भी चूंकि श्री गहरीलाल का पुत्र था इस कारण प्रथम श्रेणी का विधिक वारिस है तथा अपने हक हिस्से पर काबिज हैं, इस कारण उसके नाम पर भी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 6 के साथ साथ नामान्तरण खोला जाना चाहिए था लेकिन हल्का पटवारी, गिरदावर एवं तहसीलदार साहब ने विरासत की सही तौर जांच नहीं की तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 6 के साथ मिलाभगती कर अपीलाण्ट को उसके हक अधिकारों से महरूम रखने की नियत से नामान्तरण विरासत के आधार पर केवल मात्र रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 6 के नाम पर खोल दिया इस कारण खोला गया नामान्तरण विधि विरूद्ध होने से अपास्त होने योग्य है। अपीलाण्ट के पिता श्री गहरीलाल के नाम राजस्व ग्राम नाथडियास, पटवार हल्का बिलियाकलां, तहसील हमीरगढ़ जिला भीलवाडा मे भी कृषि आराजियात स्थित थी जिनके आराजी नम्बर 382, 391, 392, 393, 394, 431, 771, 772, 773, 774, 776, 777 थी तथा गहरीलाल के निधन के पश्चात नामान्तरण रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 6 के साथ–साथ सम्पत जो कि गहरीलाल का पुत्र है तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 6 का भाई है एवं माता पारस कंवर जिसका निधन हो गया है के नाम पर खोला गया इस प्रकार से यह स्पष्टतया साबित है कि अपीलाण्ट सम्पत खातेदारी गहरीलाल का पुत्र है तथा नाथडियास ग्राम की आराजियात में तो नामान्तरण अपीलाण्ट के नाम खोला गया एवं ग्राम पुर की आराजियात बाबत नामान्तरण अपीलाण्ट के

न्यायालय अति. जिला कलक्टर भीलवाड़ा (राज.)

19.3.26
अति. जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

नाम नहीं खोला गया इस प्रकार से हल्का पटवारी गिरदावर ने सही जाच नहीं की तथा तहसीलदार साहब को सही तथ्यों की जानकारी नहीं दी तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 6 के साथ मिलाभगती कर सम्पत अपीलाण्ट को उसके जायज हक अधिकारों से महरूम रखने की नियत से नामान्तरण केवल रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 6 के नाम खोल दिया इस प्रकार से खोला गया नामान्तरण प्रारम्भ से ही विधि विरूद्ध होने से अपास्त होने योग्य है। अपीलाण्ट जो अपने व्यवसाय के सिलसिले में बाहर रहता है इसका नाजायज फायदा उठाकर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 6 ने मिलाभगती करते हुए नामान्तरण स्वयं के नाम खुलवा लिया जबकि अपीलाण्ट सम्पत भी गहरीलाल का पुत्र होकर प्रथम श्रेणी का विधिक वारिस हैं इस कारण नामान्तरण अपीलाण्ट के नाम पर खुलना चाहिए था, ग्राम नाथडियास की आराजियात का नामान्तरण अपीलाण्ट जो खातेदार गहरीलाल का पुत्र हैं इस कारण अपीलाण्ट के नाम पर खोला गया लेकिन ग्राम पुर की आराजियात बाबत नामान्तरण अपीलाण्ट के नाम पर नहीं खोला गया इस कारण ग्राम पुर की आराजियात बाबत खोला गया उक्त नामान्तरण विधि विरूद्ध होने से अपास्त होने योग्य है तथा अपीलाण्टगण के नाम पर नामान्तरण खोले जाने का आदेश दिया जाना विधि सम्मत है। अपीलाण्ट को उक्त नामान्तरण की पूर्व में कोई जानकारी नहीं थी अभी हाल ही में माह अक्टुबर 2022 में अपीलाण्ट ग्राम पुर आया तथा ग्राम पुर तथा नाथडियास की कृषि आराजियात की जानकारी हेतु हल्का पटवारी के पास गया तथा हल्का पटवारी पुर ने अपीलाण्ट को यह बताया कि उसका नामा राजस्व रेकार्ड में नहीं है तत्पश्चात अपीलाण्ट ने ग्राम नाथडियास एवं पुर की जमाबंदियों की नकले प्राप्त की तो उसे अपीलाण्ट को यह जानकारी हुई कि ग्राम नाथडियास की आराजियात में अपीलाण्ट का नाम गहरीलाल के पुत्र की हैसियत से दर्ज है लेकिन ग्राम पुर की आराजियात मे अपीलाण्ट का नाम पुत्र की हैसियत से दर्ज नहीं है केवल रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 6 का नाम ही दर्ज हैं तत्पश्चात अपीलाण्ट ने राजस्व रेकार्ड की जानकारी की तो अपीलाण्ट को यह जानकारी हुई कि ग्राम पुर की आराजियात बाबत गहरीलाल की मृत्यु के पश्चात जो नामान्तरण खोला गया उसमे अपीलाण्ट का नाम दर्ज नहीं किया गया तत्पश्चात् दिनांक 01/11/2022 को नामान्तरण जैर बहस की नकल प्राप्त करने हेतु आवेदन प्रस्तुत कर दिनांक 04/11/2022 को नकल प्राप्त कर यह अपील जानकारी से अन्दरअवधि प्रस्तुत की जा रही है। अतः सादर निवेदन है कि अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमाई जाकर ग्राम पुर, पटवार हल्का पुर, तहसील व जिला भीलवाडा के नामान्तरण संख्या 3251 दिनांकित 29/12/1998 को अपास्त फरमाते हुए रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 6 के साथ साथ अपीलाण्ट का नाम समान हक हिस्से से खोले जाने का आदेश पारित फरमावें।

प्रस्तुत अपील न्यायालय में पंजीबद्ध की जाकर विपक्षीगणों को सम्मन नोटिस जारी किये गये। प्रकरण में उभयपक्ष अधिवक्ताओं की बहस सुनी गयी।

विपक्षी सं0 2, 3 व 6 के वारिसान की ओर से निवेदन किया गया की ग्राम पुर में आराजी से 4771 रकबा 1 बीधा 19 बिस्वा एवं आराजी न 5219 रकबा 4 बीघा 10 बिस्वा कुल किता 2 रकबा बीघा 9 बिस्वा भूमि खातेदार गेहरीलाल पिता मोतीलाल जी महाजन कोठारी के नाम पर दर्ज थी जिन्होंने एक वसीयतनामा अपनी पत्नी श्रीमती पारसकंवर के पक्ष में दिनाक 11-07-1989 को निष्पादित किया कि मेरे पूर्ण अधिकार एवं स्वामित्व की चल व अचल सम्पत्ति की मालिक तुम द्वितीयपक्ष (पारसकंवर) होगी। तुम जीते

न्यायालय अति. जिला कलक्टर भीलवाड़ा (राज.)

19.3.26 अति. जिला कलक्टर भीलवाड़ा

जी अपने बच्चों को समझदारी के साथ बंटवाड़ा कर देना। बंटवाडा ज्ञानचंद, हस्तीमल, निर्मल कुमार, अशोक कुमार, नरेन्द्र कुमार को करना लेकिन सम्पत कुमार जो कई वर्षों से घर छोड कर बाहर चला गया है जिसका अता पता नहीं है न मान मर्यादा में है न पारिवारिक संबंध से है जिससे इसको न तो एक रूपया मिलना चाहिये न एक इंच जमीन मिलनी चाहिये इस बात का तुम पूरा ध्यान रखना । इसी तरह की एक लिखतम श्रीमती पारसकंवर ने प्रत्यर्थी ज्ञानचंद के पक्ष में दिनांक 21–01–2002 को लिखी थी। गेहरीलाल जी की मृत्यु के पश्चात् उक्त वसीयतनामे से प्राप्त सभी सम्पत्तियों का श्रीमती पारसकंवर ने अपने पुत्रों ज्ञानचंद, हस्तीमल, निर्मल कुमार, अशोक कुमार व नरेन्द्र कुमार को प्रदान कर दी जिन्होंने आपस में ग्राम पुर में स्थित आराजी नं. 5219 रकबा 4 बीघा 10 बिस्वा के संबंध में समझौतापत्र, इकरारनामा, विक्रयपत्र, हकपरित्यागपत्र, बक्षीसपत्र आदि के जरिये पारिवारिक समझौता व्यवस्था कर ली जिसके अनुसार इस आराजी नं. 5219 में आधा हिस्सा निर्मल कुमार व आधा हिस्सा नरेन्द्र कुमार के हिस्से में रखा गया जिसका अमलदरामद राजस्व अभिलेख में हो गया। उक्त भूमि ग्राम पुर की आबादी में स्थित होने से निर्मल कुमार व नरेन्द्र कुमार ने सिविल न्यायालय से इसका आधे–आधे हिस्से से विभाजन करा लिया और उक्त भूमि नगर विकास न्यास में समर्पित कर दी जो नगर विकास न्यास भीलवाड़ा के नाम पर दर्ज हो गयी है और इसके पट्टे नरेन्द्र कुमार व निर्मल कुमार के नाम पर नगर विकास न्यास द्वारा जारी कर दिये गये हैं । इसके अलावा ग्राम पुर में स्थित उक्त आराजी नं. 4771 रकबा 1 बीघा 19 बिस्वा भूमि ज्ञानचंद, अशोक कुमार, नरेन्द्र कुमार, निर्मल कुमार, हस्तीमल पिता गहरीलाल, पारसकंवर पत्नी गहरीलाल तथा शंभूदेवी पुत्री गहरीलाल के हिस्से में रखी गयी जो प्रत्येक के 1/7–1/7 हिस्से से राजस्व रेकार्ड में दर्ज है। इस प्रकार आराजी नं. 5219 वर्तमान में कृषि भूमि नहीं रहकर उसे अकृषि कार्य हेतु सम्परिवर्तित कर दिया गया जिसके पट्टे जारी हो गये हैं। नामान्तरकरण की कार्यवाही एक फिस्कल कार्यवाही होती है जिसमें किसी के हक अधिकारों का निर्धारण नहीं किया जा सकता है।

अपीलार्थी द्वारा विपक्षी सं0 02, 03 व 06 के वारिसान की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 13/11/2024 का खण्डन करते हुए दोहराया की उक्तानुसार दिनांक 11/07/1989 को कोई वसीयतनामा गेहरीलाल जी ने उनकी पत्नी श्रीमती पारस कंवर के हक में निष्पादित नहीं किया है। तथाकथित वसीयतनामा पूरी तरह फर्जी एवं कुटरचित तरीके से तैयार किया गया है तथा गेहरीलाल जी की ओर से प्रस्तुत किसी शपथपत्र के स्टाम्प का दुरूपयोग कर तथाकथित वसीयतनामा अपीलार्थी को उसके जायज हक, हिस्से से महरूम रखने की नियत से तैयार किया गया है तथा जिस प्रकार के कथन उक्त तथाकथित दस्तावेज वसीयतनामे में लिखे है उक्तानुसार उक्त दस्तावेज किसी प्रकार वसीयतनामे की परिधी में नहीं आता है। तथाकथित दस्तावेज अगर वसीयतनामा होता तो इसके आधार पर नामान्तरण पारस कंवर के नाम खोला जाता जबकि नामान्तरण प्रत्यर्थीगण के नाम पुत्र एवं पुत्री की हैसियत से खोला गया अपीलार्थी गेहरीलाल का पुत्र है इस कारण हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 08 के तहत अपीलार्थी का जन्म से ही उसके पिता गेहरीलाल की कृषि आराजियात एवं सम्पदा में हक, अधिकार निहित है तथा विरासत के आधार पर उसके नाम नामान्तरण खुलना चाहिये था जो नही खोला गया। साथ ही ग्राम नाथडियास तहसील भीलवाडा में भी गेहरीलाल जी की कृषि आराजियात थी जिसका

न्यायालय अति. जिला कलक्टर भीलवाड़ा (राज.)

19.3.26
अति. जिला कलक्टर भीलवाड़ा

नामान्तरण गेहरीलाल की मृत्यु के उपरांत अपीलार्थी के नाम पुत्र की हैसियत से खोला गया एवं वादग्रस्त ग्राम पुर की आराजियात का नामान्तरण अपीलार्थी के नाम नही खोला गया इस कारण अपीलार्थी का वादग्रस्त आराजियात में विरासत के आधार पर हक अधिकार निहित होता है इस कारण अपीलार्थी ने अपने हक, अधिकार बाबत् अपील प्रस्तुत की है। तथाकथित लिखतम दिनांक 21/01/2002 भी पूरी तरह फर्जी एवं कुटरचित है एवं केवलमात्र अपीलार्थी को वादग्रस्त आराजियात में कोई हक, हिस्सा प्राप्त नहीं हो इस कारण प्रत्यर्थीगण ने फर्जी एवं कुटरचित तरीके से उक्त दस्तावेज तैयार किया है। उक्तानुसार कोई लिखतम पारस कंवर ने ज्ञानचन्द के हक में निष्पादित नहीं की है। अपीलार्थी गेहरीलाल का पुत्र होकर प्रथम श्रेणी का विधिक वारिस है इस कारण वादग्रस्त आराजियात बाबत् अपीलार्थी के नाम नामान्तरण खोला जाना न्यायसंगत था लेकिन हल्का पटवारी, गिरदावर तथा तहसीलदार साहब ने सम्पूर्ण जाँच पड़ताल नही की है तथा बिना जाँच पडताल किये ही नामान्तरण अकेले प्रत्यर्थीगण के नाम खोला है जो नियमों के विपरीत है तथा ऐसे नामान्तरण से अपीलार्थी के जो हक, अधिकार विरासत के आधार पर निहित हो गये है वह किसी प्रकार समाप्त नही किये जा सकते है तथा नामान्तरण में किसी प्रकार से प्रार्थना पत्र की चरण सं. 01 एवं 02 में वर्णित वसीयत एवं तथाकथित पारस कंवर द्वारा ज्ञानचन्द के हक में लिखी गई लिखतम का कोई वर्णन नहीं है। ऐसी स्थिति में उक्त समस्त दस्तावेजात् अपीलार्थी को उसके हक, हिस्से से महरूम रखने की नियत से तैयार किये गये है साथ ही इस कलम में जो समझौता पत्र, ईकरारनामा, विक्रयपत्र, हक परित्याग पत्र, बक्षीस पत्र आदि का जो वर्णन किया है उसमें अपीलार्थी किसी प्रकार पक्षकार नहीं है तथा ऐसे दस्तावेजात् से अपीलार्थी पाबंद नही है तथा उक्त दस्तावेजात् से अपीलार्थी के हक, अधिकार किसी प्रकार प्रभावित नही होते है। इस कलम में वर्णित अनुसार निर्मल कुमार व नरेन्द्र कुमार ने सिविल न्यायालय से वादग्रस्त आराजियात बाबत् कोई विभाजन करवा भी लिया है तो अपीलार्थी के विरासत के आधार पर जो हक, अधिकार निहित होते है वह किसी प्रकार समाप्त नही होते है। साथ ही इस कलम में यह भी वर्णित किया कि निर्मल कुमार एवं नरेन्द्र कुमार ने नगर विकास न्यास, भीलवाडा को आराजी समर्पित कर दी इस सम्बंध में निवेदन है कि अपीलार्थी ने नामान्तरण को चुनौती देते हुए अपना हक, हिस्सा वादग्रस्त आराजियात में होना वर्णित किया है ऐसी स्थिति में चूंकि नामान्तरण खोला गया तब आराजियात की किस्म कृषि आराजियात थी ऐसी स्थिति में निर्मल कुमार एवं नरेन्द्र कुमार द्वारा नगर विकास न्यास, भीलवाडा को समर्पित कर देने मात्र से अपीलार्थी के हक, अधिकार प्रभावित नहीं होते है। निर्मल कुमार एवं नरेन्द्र कुमार के हक तक उक्त समर्पण माना जायेगा तथा निर्मल कुमार एवं नरेन्द्र कुमार को अपीलार्थी के हक, हिस्से को समर्पित करने का कोई अधिकार नहीं था। अधिकारिता से परे जाकर निर्मल कुमार व नरेन्द्र कुमार ने कोई कार्यवाही की है तो वह अपीलार्थी के हक, हिस्से के मुकाबले प्रभावहीन है तथा अपीलार्थी अपना हक, हिस्सा वादग्रस्त आराजियात में जो विरासत से निहित हुआ है प्राप्त करने का अधिकारी है। इस कलम में आराजी सं. 4771 को ज्ञानमल, अशोक कुमार, नरेन्द्र कुमार, निर्मल कुमार, हस्तीमल, पारस कवर एवं शम्भु देवी के हक में रखने का तथ्य भी अस्वीकार है। वादग्रस्त आराजी में अपीलार्थी का जन्म से ही हक, अधिकार निहित है तथा कानून सम्मत् प्रदत्त ऐसे हक, अधिकार को समाप्त नहीं किया जा सकता है तथा जो नामान्तरण वादग्रस्त आराजियात बाबत् गेहरीलाल की मृत्यु के उपरांत खोला गया है वह

न्यायालय अति. जिला कलक्टर भीलवाड़ा (राज.)

19.3.26
अति. जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

अपास्त होने योग्य है तथा अपीलार्थी के नाम पर भी नामान्तरण खोला जाना न्यायसंगत है। वक्त नामान्तरण आराजी सं. 5219 की किस्म कृषि आराजी ही थी तथा अपीलार्थी ने नामान्तरण को चुनौती देते हुए अपना हक, अधिकार वादग्रस्त आराजियात में होना वर्णित किया है ऐसी स्थिति में नामान्तरण के पश्चात् किसी प्रकार की किस्म में परिवर्तन होता है तो उसके लिये अपीलार्थी किसी प्रकार उत्तरदायी नही है तथा विरासत के आधार पर जो कानूनन हक, अधिकार अपीलार्थी को दिये गये है वह अपीलार्थी प्राप्त करने का अधिकारी है। सम्पूर्ण प्रार्थना पत्र में अपीलार्थी गेहरीलाल का पुत्र नहीं हो ऐसा कही वर्णित नहीं किया है। चूंकि अन्य प्रत्यर्थीगण के समान ही अपीलार्थी भी गेहरीलाल का पुत्र है इस कारण विरासत के आधार पर अपीलार्थी भी वादग्रस्त आराजियात में अपना हक, हिस्सा प्राप्त करने का अधिकारी है।

अपीलार्थी अधिवक्ता की ओर से *2024(2) RRT 1246, 2024(1) RRT 179, 2022(2) RRT 1137, 2024(2) RRT 1240* न्यायिक दृष्टान्त प्रस्तुत किया गया जिसका अवलोकन किया गया।

विपक्षी अधिवक्ता की ओर से *प्रतिमा चौधरी बनाम कल्पना मुखर्जी Civil Appeal No. 1938 of 2014 निर्णय दिनांक 10.02.2014* न्यायिक दृष्टान्त प्रस्तुत किया गया जिसका अवलोकन किया गया।

प्रकरण में उभयपक्ष अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक परीक्षण किया गया। जिस अनुसार पाया गया कि राजस्व ग्राम पुर में आराजी संख्या 4771 की किस्म कृषि आराजी है एवं आराजी संख्या 5219 की किस्म नगर विकास न्यास भीलवाडा संस्था को समर्पित है। प्रश्नगत प्रकरण में नामान्तरण संख्या 3251 से प्रभावित भूमि में आंशिक भाग नगर विकाय न्यास के नाम दर्ज होकर आवासीय प्रयोजनार्थ पट्‌टे जारी हो चुके है। आवासीय प्रयोजन हो चुके भू–भाग पर सुनवाई की अधिकारिता केवल सक्षम सिविल न्यायालय को प्राप्त है। नामान्तरण संख्या 3251 से प्रभावित खसरा संख्या 4771 ही राजस्व न्यायालय की अधिकारिता का है। चुंकि नामान्तरण संख्या 3251 से प्रभावित भूमि का आंशिक भाग का निर्णय घोषणात्मक वाद द्वारा राजस्व न्यायालय में ही किया जा सकता है। अतः अपील विधिक रूप से पोषणीय नहीं होने से अस्वीकार योग्य ठहरती है। प्रार्थी सक्षम न्यायालयों में अनुतोष प्राप्त करने हेतु स्वतंत्र है।

उक्त विवेचन अनुसार अपीलार्थी की अपील स्वीकार योग्य नहीं ठहरती है। अतएव–

आदेश

अपीलाण्ट की ओर से प्रस्तुत अपील अन्तर्गत धारा 75 भू–राजस्व अधिनियम के तहत अपील अस्वीकार की जाती हैं। निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार भीलवाडा को पालनार्थ प्रेषित की जावे।

निर्णय आज दिनांक 19 .03.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

19.3.26
(रणजीत सिंह)
अति0 जिला कलक्टर
भीलवाडा

कार्यालय अति. जिला कलक्टर भीलवाड़ा (राज.)
अति. जिला कलक्टर भीलवाड़ा